बसंत स्टेशनरी, सलूम्बर Mob. 94147-37865

फर्द अहकाम

कार्यालय: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव

प्रार्थी: हीरालाल विपक्षी: सोमा

किस्म मुकदमा: रा० वा० पत्रावली संख्या: 4 सन्: 2016

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
12/1/17	पत्रावली पेश हुई वादी वकील श्री लक्ष्मीनारायण नागदा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम (1) (3) (ख) एवं सहपठित धारा 151 जा०दि० का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण आप न्यायालय में विचाराधीन है एवं तामिल की स्टेज पर है परन्तु वादी ने सभी खातो की जमीन का बटवारा कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अब केवल विवादग्रस्थ जमीन का ही बटवारा कराना चाहता है इस हेतु वादी नये सिरे से वाद प्रस्तुत करना चाहता है जो नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए इस वाद को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा न्यायहीत में लेना चाहता है। अत: वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा वादी वकील के नया वाद संस्थित के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए यह वाद प्रत्याहृत (विड्रो) करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	(हस्ताक्षर)